समाहरणालय (जिला भू–अर्जन शाखा) धनबाद।

ज्ञापांक–847 / भू0अ0 दिनांक–31.07.2021
असाधारण अंक–24 दिनांक–18.08.2021

–: अधिसूचना :–

महुदा (एन0एच0–32) से सिन्दरी (जामाडोबा) पथ परियोजना हेतु अंचल–बाघमारा, मौजा–तेलमोचो, मौजा सं0–320 में अर्जित की जा रही भूमि के भू–अर्जन के लिए भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुरूप भूमि का स्थलीय एवं अभिलेखीय सत्यापन कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, धनबाद द्वारा संरचना का मुल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं श्री मुकेश कुमार तत्कालीन कार्यवाहक सहायक जिला भू–अर्जन कार्यालय, धनबाद के आकस्मिक सड़क दुर्घटना के कारणवश उपायुक्त–सह–समुचित सरकार से निर्गत अधिसूचना में रैयतों का नाम सुधार / बदलाव किये जाने से संबंधित आपत्ति के निराकरण हेतु प्लॉटवार राजस्व कागजातों का जाँच कर जाँचोपरान्त तार्किक आदेश पारित नहीं किया जा सका है। साथ ही कोविड–19 के कारणवश निर्धारित अवधि में अधिनियम की धारा–19(1) के अन्तर्गत अधिघोषणा ससमय निर्गत नहीं किया जा सका है।

अतः महुदा (एन0एच0–32) से सिन्दरी (जामाडोबा) पथ परियोजना हेतु अंचल–बाघमारा, मौजा–तेलमोचो, मौजा सं0–320 में रकवा–3.7900 एकड़ रैयती भूमि का भू–अर्जन के लिए भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19(7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा–19(1) के अन्तर्गत अधिघोषणा हेतु दिनांक–30.07.2021 से 29.07.2022 तक एक वर्ष की अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

ह0 / –
समुचित सरकार
–सह–
उपायुक्त, धनबाद।